न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 797 / 2023

अनवान : –

1. पाबूसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. फुलसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
2. उम्मेदसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
3. रूपसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
4. प्रतापसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
5. धनेसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
6. छेलुसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
7. प्रेमकंवर पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
8. मैनपाल सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
9. जयभवानी सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
10. पूजा कंवर पुत्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
11. बालु कंवर पत्नि मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
12. रामेन्द्रसिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
13. सुभा पुत्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– अप्रार्थीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 112 / 101 के ख.न. 311 / 4 की 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 20 / 101 के ख.न. 311 / 5 की 2.2770 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 135 / 101 के ख.न. 311 / 1 की 3.9000 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 250 / 101 के ख.न. 311 / 3 की 2.5300 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 3 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर खाता सं. 124 / 101 के ख.न. 311 / 6 की 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है।

रोही मौजा बालासर तहसील नोहर खाता सं. 101 / 101 के ख. न. 311 / 2 की 1. 8975 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर खाता सं. 131 / 101 के ख. न. 311 / 8 की 1.8760 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर खाता सं. 143 / 101 के ख.न. 311 / 7 की 1.8975 हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:58:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादीगण सं. 9 ता 13 प्रत्येक 1/5, 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादी एव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायालय में दावा पेश किया तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री करवा लिया एवं वाद भूमि में खाता व अलग–अलग करवा लिया परन्तु नक्शा तक्सीम नही करवा परन्तु राजस्व विभाग कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर ही नक्शा तरमीम कर दिया जिसके कारण भौतिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर मौके पर काश्त एवं भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम करवापाने का अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 की राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर नक्शा तरमीम करने के कारण वास्तविक एवं कब्जा की भौतिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है। जिसे वादी निम्न प्रकार से दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है–

(1) वादी सं. 1 पाबूसिंह के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/8 की 1.771 हैक्टर मुताबिक लाल रंग के अनुसार नक्शा रहेगा।

(2) प्रतिवादी सं. 1 फुलसिंह के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/1 की 3. 9000 हैक्टर भूमि बैगनी रंग के अनुसार नक्शा तरमीम रहेगा।

(3) प्रतिवादी सं. 2 के पास न. 311/5 की 2.2770 हैक्टर भूमि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. मुताबिक हरे रंग के अनुसार नक्शा तरमीम रहेगा।

(4) प्रतिवादी सं. 3 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/3 की 2.5300 हैक्टर भूमि गहरा रहे रगं के अनुसार नक्शा रहेगा।

(5) प्रतिवादी सं. 4 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/6 की 1.771 हैक्टर भूमि मुताबिक पीले रंग के अनुसार नक्शा तरमीम रहेगा।

(6) प्रतिवादी सं. 5 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/2 की 1.8975 हैक्टर भूमि मुताबिक बैगनी रंग अनुसार रहेगी।

(7) प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/8 की 1. 8760 हैक्टर भूमि नीले रंग के अनुसार नक्शा तरमीम रहेगा।

(8) प्रतिवादी सं. 9 ता 13 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर

(8) के ख.न. 311/7 की 1.8975 हैक्टर भमि गहरे पीले रंग के अनुसार नक्शा रहेगा। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपना नक्शा सशोधित करवाकर माननीय न्यायालय से घोषणा करवाकर नक्शा तरमीम करवापाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इस[illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:58:58 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकारान काबिज है इसलिए मुताबिक उपरोक्त बंटवारा के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 112/101 के ख.न. 311/4 की 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 20/101 के ख.न. 311/5 की 2.2770 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है एंव रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 135/101 के ख.न. 311/1 की 3.9000 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता सं. 250/101 के ख.न. 311/3 की 2.5300 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 3 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर खाता सं. 124/101 के ख.न. 311/6 की 1.7710 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:58:58 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. वादी सं. 1 पाबूसिंह के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/8 की 1.771 हैक्टर भूमि
2. प्रतिवादी सं. 1 फुलसिंह के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/1 की 3.9000 हैक्टर भूमि
3. प्रतिवादी सं. 2 के पास न. 311/5 की 2.2770 हैक्टर भूमि
4. प्रतिवादी सं. 3 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/3 की 2.5300 हैक्टर भूमि
5. प्रतिवादी सं. 4 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/6 की 1.771 हैक्टर भूमि
6. प्रतिवादी सं. 5 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/2 की 1.8975 हैक्टर भूमि
7. प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/8 की 1.8760 हैक्टर भूमि
8. प्रतिवादी सं. 9 ता 13 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/7 की 1.8975 हैक्टर

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:58:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 797/2023

अनवान : –

1. पाबूसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. फुलसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
2. उम्मेदसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
3. रूपसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
4. प्रतापसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
5. धनेसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
6. छेलुसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
7. प्रेमकंवर पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
8. मैनपाल सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
9. जयभवानी सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
10. पूजा कंवर पुत्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
11. बालु कंवर पत्नि मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
12. रामेन्द्रसिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
13. सुभा पुत्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बालासर तहसील नोहर
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 797 सन 2023 निर्णय दिनांक 01/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. वादी सं. 1 पाबूसिंह के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/8 की 1.771 हैक्टर भूमि
2. प्रतिवादी सं. 1 फुलसिंह के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/1 की 3.9000 हैक्टर भूमि
3. प्रतिवादी सं. 2 के पास न. 311/5 की 2.2770 हैक्टर भूमि
4. प्रतिवादी सं. 3 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/3 की 2.5300 हैक्टर भूमि
5. प्रतिवादी सं. 4 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/6 की 1.771 हैक्टर भूमि
6. प्रतिवादी सं. 5 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख. न. 311/2 की 1.8975 हैक्टर भूमि
7. प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/8 की 1.8760 हैक्टर भूमि
8. प्रतिवादी सं. 9 ता 13 के पास रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के ख.न. 311/7 की 1.8975 हैक्टर

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:58:58 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर